न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट

जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 03 / 2022
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 05.01.2022 **निर्णय दिनांक** : 13.05.2025

उनवान

1. नारायण पिता मोडीराम जाति गुर्जर
2. मथरा पत्नी मोडीराम जाति गुर्जर
   सभी निवासीयान डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमन्द

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. प्यारी बाई पत्नी मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी डिगरोल तहसील आमेट जिला राजसमन्द
2. पंजीयन विभाग सरदारगढ जरिये उप पंजीयक सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द
3. राजथान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द
4. गोविन्द पिता मोडीराम जाति गुर्जर निवासी डिगरोल तहसील आमेट जिला राजसमन्द

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थीगण की ओर से :– **अधिवक्ता शराफत हुसैन फौजदार**
अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास
विपक्षी संख्या 01 की ओर से :– **अधिवक्ता मुकेश देवपुरा**
विपक्षी संख्या 04 की ओर से :– **एकपक्षीय**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम डिंगरोल पटवार हल्का दोवडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या 73 के आराजी संख्या 758, 759 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3400 हैक्टेयर हिस्सा सम्पूर्ण, खाता संख्या 72 आराजी चाह संख्या 757 रकबा 0.0350 हैक्टेयर हिस्सा सम्पूर्ण एवं खाता संख्या 71 आराजी संख्या 764 रकबा 0.3850 हैक्टेयर भूमि है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 को जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 06.03.1995 को तत्कालीन खातेदार गिरीराजसिंह पिता आवडदान जाति चारण निवासी डिंगरोल ने किमतन विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया गया था। तभी से उक्त वर्णित कृषि आराजीयात

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

सम्पूर्ण पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त करते चले आ रहे हैं। विकय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को देने पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 के पक्ष में खोल दिया प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 अनपढ होने से यह उन्हें ज्ञात नही रहा कि विकय पत्र के अनुसार जो अंकन रकबा आदि का किया गया वह संही तरिके से अमल दरामद हुआ या नही किन्तु प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 सदैव से भूमि पर बाद विक्रय पत्र काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 अपने रकबे पर काबिज होकर सन् 1995 से ही शांतिपूर्वक रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। अभी प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 को अपनी भूमियों को विकसीत करने के लिये वित्तीय सुविधा की आवश्यकता होने पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 द्वारा अपनी भूमि की जमाबन्दी नकले प्राप्त की तब प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 को इस बात की जानकारी हुई की खाता संख्या 71 के आराजी संख्या 464 रकबा 0.3850 हैक्टेयर भूमि जो कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 द्वारा सन् 1995 में गिरीराज सिंह से कय की गई थी। उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 01 प्यारी बाई का नाम न जाने किसी प्रकार गलत तरिके से फर्जीवाडा कर अंकन कर दिया हैं जिसे पुनः हटवाया जाना व प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 के नाम भूमि की घोषणा की जाना नितान्त आवश्यक हैं। साथ ही खाता संख्या 71 में विपक्षी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज होने से विपक्षी संख्या 01 बदनियती पूर्वक कभी भी अपने हिस्से का रहन, बय, अन्तरण किसी अन्य के पक्ष में करवाने को आतुर रहने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा भी पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रार्थीगण खातेदार एवं मौके पर काबिज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। जहा तक अपूर्णिय क्षति का प्रश्न हैं यदि विपक्षी संख्या 01 गलत खाते दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर किसी अन्य को रहन, बय अन्तरण कर देगी तो वह भी प्रार्थीगण को ही होनी हैं। तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हैं।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण सव्यय स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम डिगरोल पटवार हल्का दोवडा में स्थित वादग्रस्त कृषि आराजी संख्या 764 रकबा 0.3850 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा जो गलत दर्ज हुआ है जिस पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 काबिज है उक्त भूमि में विपक्षीगण प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 के कब्जे काश्त के कार्यों में दखल अन्दाजी नही करें एवं किसी अन्य को रहन, बय, अन्तरण पंजीयन आदि न करते हुए मौके व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। अन्य कोई दाद प्रार्थना पत्र व्यय वकील मेहनताना जो न्यायालय उचित समझे दिलवायी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता मुकेश देवपुरा ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एक वाद विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो मिथ्या एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होकर वादीगण/प्रार्थीगण को उसमें सफलता मिलने की कोई संभावना नही है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 04 के खातेदारी की भूमि ग्राम डिंगरोल के आराजी नम्बर 758

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

एवं 759 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3400 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी नम्बर 757 रकबा 0.0350 हैक्टेयर भूमि जो खातेदारी की है, उससे विपक्षी संख्या 01 को कोई ऐतराज नही है। विपक्षी संख्या 01 के खातेदारी की भूमि ग्राम डिंगरोल तहसील आमेट स्थित आराजी नम्बर 764 रकबा 0.3850 हैक्टेयर है, जिसमें 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 श्रीमती प्यारी बाई पत्नी मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद का है, जो विपक्षी संख्या 01 ने तत्कालीन खातेदार गिरीराज सिंह पिता आवडदान जी जाति चारण निवासी डिंगरोल से खरीद की, तब से लेकर आज दिन तक इस 1/2 हिस्से पर विपक्षी संख्या 01 श्रीमती प्यारी बाई व उसका परिवार खा–कमा रहा है व 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। यह जमीन एवं प्रार्थीगण की जमीन पूर्व में गिरीराज सिंह पिता आवडदान जी चारण निवासी डिंगरोल के ही खातेदारी की थी और इस जमीन पर आने–जाने का मुख्य रास्ता आराजी चाह नम्बर 757 रकबा 0.0350 हैक्टेयर कुंए के पास होकर ही आता–जाता है, जो रास्ता मौके पर वर्षों से बना मुख्य सडक तक मौजुद है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 श्रीमती प्यारी बाई को केवल अपने 1/2 हिस्से के खातेदारी की जमीन आराजी नम्बर 764 रकबा 0.3850 हैक्टेयर में आने–जाने व रास्ते के उपयोग–उपभोग से रोकने के लिए यह झुठा मुकदमा लगाया है। आराजी नम्बर 764 रकबा 0.3850 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से की विपक्षी संख्या 01 श्रीमती प्यारी बाई गुर्जर बतौर खातेदार होकर खा कमा रही है, जिस पर आने–जाने का रास्ता उक्त कुएं की जमीन के पास ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण ने जमीन खरीदी इस बाबत् प्रार्थीगण अपने दस्तावेज न्यायालय में पेश करे। विपक्षी संख्या 01 श्रीमती प्यारी बाई ने आराजी नम्बर 764 रकबा 0.3850 हैक्टेयर भूमि का 1/2 हिस्सा श्री गिरीराज सिंह जी पिता आवडदान जी जाति चारण निवासी डिंगरोल से खरीद किया और उस अनुसार विपक्षी संख्या 1 काबिज है व वर्षों से खा–कमा रही है व इस जमीन पर जो रास्ता गिरीराज सिंह जी ने बनाया है, उस रास्ते से आ–जा रही है। अब प्रार्थीगण के मन मे बदयान्ति आ गई है और विपक्षी संख्या 01 की जमीन को हडपने की नियत से उसका रास्ता बंद कर उसे परेशान कर रहे है एवं यह झुठे मुकदमे लगा रहे है। ग्राम डिंगरोल पटवार हल्का दोवडा तहसील आमेट के आराजी नम्बर 764 रकबा 0.3850 हैक्टेयर जो 1/2 हिस्सा मे वह विपक्षी संख्या 01 श्रीमती प्यारी बाई के नाम विक्रय विलेख से नामान्तरकरण खुला है एवं तब से ही 1/2 हिस्से पर प्यारी बाई काबिज होकर खा–कमा रही है। मौके पर 1/2 हिस्से पर वर्षों से प्यारी बाई बतौर खातेदार काबिज होकर खा कमा रही है। किसी प्रकार का कोई फर्जीवाडा राजस्व रेकार्ड मे नही होता है। यह कहना सर्वथा गलत है कि आराजी नम्बर 764 रकबा 0.3850 हैक्टेयर मे 1/2 हिस्सा राजस्व अधिकारियों से गलती से दर्ज कर दिया हो। बल्कि उक्त भूमि श्रीमती प्यारी बाई की खरीद शुदा है एवं राजस्व रेकार्ड मे बतौर खातेदार दर्ज है। खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थीगण का न तो प्रथम दृष्टिया मामला है, न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षी संख्या 01 बतौर खातेदार होकर खा–कमा रही है और उसके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से विपक्षी संख्या 01 को भारी असुविधा होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

प्रार्थना–पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें एवं विपक्षी संख्या 01 को विशेष हर्जा–खर्चा दिलवाया जावें। विपक्षी संख्या 04 की तामील रजिस्टर्ड ऐडी से करायी गयी जिसकी प्राप्ति रसीद एकमाह उपरान्त प्राप्त नही जिससे दिनांक 07.11.2023 को आदेश 05 नियम 09(ग) सीपीसी के तहत् एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम डिगरोल पटवार हल्का दोवडा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या नया 71 पुराना 76 के आराजी संख्या 764 रकबा 0.3850 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रकरण संख्या 03/2022 रे. वाद के निस्तारण तक मौके एवं अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **13.05.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला–राजसमन्द

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)